# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 46/2017 (2017/00101) जिला–नागौर

1. प्रेम पुत्री रामनिवास
2. संतोष पुत्री रामनिवास
   सभी जाति जाट निवासी ग्राम डागांवास तहसील मेड़ता जिला नागौर।
3. रमजीराम पुत्र जेठाराम डूडी जाति जाट निवासी मेरासिया तहसील पीपाड़सिटी जिला जोधपुर।

–––अपीलार्थीगण

## बनाम

1. रामनिवास पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी डांगावास तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. ग्राम पंचायत टूंकलिया तहसील मेड़ता जिला नागौर जरिये सरपंच।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 16–06–2017
अन्तर्गत अपील संख्या 06/2013
बउनवान रामनिवास बनाम प्रेम

––––

उपस्थित– 1. श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1

## निर्णय

दिनांकः– 30–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 395 मिन रकबा 19.11 बीघा स्थित ग्राम धनाया का खातेदार अपीलार्थी संख्या 1 व 2 का पिता रामनिवास पुत्र हीराराम का देहान्त होने पर अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के नाम विरासत का नामान्तकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 ग्राम पंचायत टूंकलिया ने अपीलार्थी के हक में स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक अपील उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष मियाद बाहर पेश की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 16–6–2017 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मेड़ता को पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने

हेतुं अपने आदेश दिनांक 16–6–2017 से प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को सरसरी तौर पर अपने आदेश से निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये एवं बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय केम्प कोर्ट में पारित कर दिया जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी राजीनामा के ही प्रकरण निस्तारित किये जाते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को ग्राम पंचयत द्वारा स्वीकार किये गये नामान्तरकरण की जानकारी थी किन्तु उसने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील मियाद बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने योग्य थी क्योंकि अपील को दर्ज करने से पूर्व दिनांक 2–9–2013 को अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज कर अपीलार्थी को मियाद बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रकरण रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअन्दाज कर अपील मियाद पर कोई निर्णय पारित किये बिना क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत टूकलिया के नामान्तकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया इस आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 2–9–2011 को 11 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रस्तुत की और मियाद बाहर कोई जानकारी का कारण प्रार्थना पर मियाद अधिनियम में नहीं बताया और उपखण्ड अधिकारी ने प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रशासन गांव के संग अभियान में अपीलार्थी को नोटिस दिये बिना अपील स्वीकार की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील की फर्जकार्यवाही अपीलार्थी को दिनांक 4–5–2017, 24–5–2017 को बहस हेतु नियत थी इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तारीख पेशी को प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील को स्वीकार कर क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किया है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 395 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा आराजी का नियमन अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पिता रामनिवास पुत्र हरिराम उर्फ हीराराम जाति जाजडा को दिनांक 21–8–78 को नियमन की गई है जिसका नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 384 दिनांक 5–9–78 को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पिता हरिराम उर्फ हीराराम नाम स्वीकृत किया गया तथा अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के दादा को दो नामों से पुकारते थे हरिराम उर्फ हीराराम से इसी ग्राम डांगावास गांव की समान वल्दियत नाम के दो परिवार है लेकिन दोनों की गोत्र अलग–अलग है अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पिता रामनिवास पुत्र हरिराम उर्फ हीराराम की गौत्र जाजडा है जिसकी मृत्यु होने पर उनके वारिसान अपीलार्थी संख्या 1 व 2 थे जिसका विरासत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 में ग्राम पंचायत टूंकलिया द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 जो रामनिवास पुत्र हरिराम उर्फ हीराराम गौत्र लामरोड जो जीवित है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई संबंध भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में अपीलार्थी संख्या 3 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 17–6–2016 को पक्षकार बनाया था इसके बाद अपीलार्थी संख्या 3 को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील स्वीकार कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उनके समक्ष रामनिवास पुत्र हरिराम जाति जाजडा द्वारा अपील प्रस्तुत की गई एवं अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पिता की वल्दियत रामनिवास पुत्र हरिराम उर्फ हीराराम जाति जाजडा है जो कि विवादित भूमि रामनिवास पुत्र हरिराम उर्फ हीराराम की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा अपीलार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 ग्राम पंचायत टूंकलिया द्वारा स्वीकृत किया गया उक्त भूमि को अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपीलार्थी संख्या 3 को बेचान कर दी एवं राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज है इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 3 को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2017 निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत टूंकलिया द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में आर.बीजे. 2022 पेज 714, 741, 502, आर.बीजे. 2020 पेज 706, आर.बीजे. 2010 पेज 289, आर.बीजे. 2006 पेज 1092, आर.बीजे. 2018 पेज 372 की नजीरे प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 395 रकबा 13975 बीघा गैर मुमकिन पहाड़, मंगरा की भूमि आई हुई

थी। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संख्या 1 सम्वत 2035–2038 में राजकीय भूमि दर्ज थी। विवादित आराजियात पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त के आधार पर रकबा 19 बीधा 11 बिस्वा का कब्जा नियमन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के ओदश राजस्व 1051 दिनांक 21–8–78 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में नामान्तकरण संख्या 384 स्वीकृत हुआ। उक्त आदेश के आधार पर जमाबंदी संख्या 1 में कब्जा काश्त के आधार पर जमाबंदी सम्वत 2035–38 में प्रत्यर्थी के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया गया।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दिनांक 21–8–78 को नियमन आदेश के बाद भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 5–9–78 को तत्कालीन पटवारी हल्का पुन्दलू द्वारा नामान्तरकरण भरा गया तथा तहसीलदार मेड़ता द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम लगातार खातेदारी हक से चला आ रहा था किन्तु दिनांक 2–4–2002 को अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 रामनिवास को फौत होना बताकर ग्राम पंचायत टूंकलिया से मिलीभगत करके प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 395 रकबा 19 बीधा 11 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 स्वीकृत करवा लिया जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 को 21–7–2012 को हुई। प्रत्यर्थी संख्या 1 रामनिवास के जीवित रहते हुए भी उसे फौत बताकर अपीलार्थी संख्या 1 व 2 दोनों ही प्रत्यर्थी संख्या 1 की पुत्रियां नहीं होते हुए भी गलत रूप से फर्जी तरीके से नामान्तकरण स्वीकृत करवा लिया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये ही नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2017 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 निरस्त कर तहसीलदार मेड़ता को पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि यह रामनिवास अलग है भूमि आवंटन के बाद ग्राम पंचायत टूंकलिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1206 स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत टूकलिया द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 स्वीकृत किया गया है। पटवारी हल्का धनापा द्वारा नामान्तकरण के कॉलम संख्या 15 में उल्लेखित किया है कि रामनिवास फौत हो जाने से उसकी पुत्रियां के नाम नामान्तरकरण भरा गया पत्नी पहले ही फौत हो चुकी है। पटवारी हल्का ने यह कहीं उल्लेख नहीं किया है कि रामनिवास की किस दिनांक को मृत्यु हुई, का अंकन नहीं है जिससे यह पता नहीं चलता है। अपीलार्थीगण द्वारा भी रामनिवास

की मृत्यु किस दिनांक को हुई बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही अपील मीमों में ही उल्लेखित है कि रामनिवास की मुत्यु किस दिनांक को हुई है, से संबंधित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी मौजूद नहीं है। पटवारी हल्का ने किस आधार पर रामनिवास पुत्र हरीराम जाति जाट सा0 डांगावास की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया है जो त्रूटिपूर्ण होने से सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम भी राम निवास पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी डांगावास है जो कि वर्तमान में जीवित है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 395 रकबा 13975 बीघा गैर मुमकिन पहाड़, मंगरा की भूमि आई हुई थी। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संख्या 1 सम्वत 2035–2038 में राजकीय भूमि दर्ज थी। विवादित आराजियात पर प्रत्यर्थी संख्या 1 रामनिवास पुत्र हरिराम का कब्जा काश्त के आधार पर रकबा 19 बीधा 11 बिस्वा का कब्जा नियमन किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के आदेश क्रमांक/ राजस्व 1051 दिनांक 21–8–78 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में नामान्तकरण संख्या 384 स्वीकृत हुआ। उक्त आदेश के आधार पर जमाबंदी संख्या 1 में कब्जा काश्त के आधार पर जमाबंदी सम्वत 2035–38 में प्रत्यर्थी संख्या–1 रामनिवास पुत्र हरिराम के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज हुई। एक ही गांव में दो परिवारों की वल्दियत एक ही होने का कथन अपीलार्थीगण द्वारा किया गया है विवादित भूमि किसकी है जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार, मेड़ता द्वारा विवादित आराजियात की मौका व कब्जा तथा रेकार्ड की जांच कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत टूकलिया द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1206 दिनांक 11–4–2002 निरस्त कर दोनों पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2017 द्वारा प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–06–2017 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 06/2013 रामनिवास बनाम प्रेम व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(भवंर लाल मेहरा)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**